

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन सहयक कलक्टर सुजानाद

पीठासीन अधिकारी - रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

बाद पत्र - अन्तर्गत धारा 88 आर्टीए व 136 एलआर एक्ट

मू.नं.

76/सन 2019

तारीख

30.08.2019

हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जल

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम हुकम की तामील में जारी हुए

यह बाद पत्र राजस्थान कोर्टकाठी अधिनियम की धारा 88 व मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी लाराम जालि मधवाल निवासी ठाणी गोलिन्दपुरा तहसील सुजानाद जिला मूक ने बाद पत्र प्रस्तुत किया गया। बाद पत्र की पत्रावली मूर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाई। प्रकल्प में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम ठाणी गोलिन्दपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में नया खाला खूला 69 पुराना खाला संख्या 59 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में लाराम पुत्र सोनाराम जालि मधवाल निवासी ठाणी गोलिन्दपुरा तहसील सुजानाद दर्ज है। वादी का नाम आधार कर्ड परिवय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम लाराम पुत्र सोनाराम जालि मधवाल निवासी ठाणी गोलिन्दपुरा तहसील सुजानाद है। वादी का नाम लाराम पुत्र सोनाराम किया जाने के आदेश करमावे।

बाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई। उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमा बन्दी सम्वत् 2075-2078 में वादी का नाम लाराम पुत्र सोनाराम जालि मधवाल निवासी ठाणी गोलिन्दपुरा दर्ज है। जो गलत है। संतान दस्तावेज आधार कर्ड परिवय पत्र के अनुसार वादी का सही नाम लाराम पुत्र सोनाराम जालि मधवाल निवासी ठाणी गोलिन्दपुरा तहसील सुजानाद है, जो मूक किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत बादपत्र व दस्तावेजाल तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुबंध के आधार पर राजस्थान कोर्टकाठी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार मू ग्राम ठाणी गोलिन्दपुरा तहसील सुजानाद जिला मूक की जमा बन्दी सम्वत् 2075-2078 में नया खाला संख्या 69 पुराना खाला संख्या 59 में दर्ज प्रविष्टि की निम्नलिखित रूप से मूक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अर्थ प्रविष्टि)	आदेश (मूक प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है)
1	ठाणी गोलिन्दपुरा	69/59	लाराम पुत्र सोनाराम जालि मधवाल निवासी ठाणी गोलिन्दपुरा	लाराम पुत्र सोनाराम जालि मधवाल निवासी ठाणी गोलिन्दपुरा

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानाद को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में सुमार होकर हस्त जाला दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मू द्वारा लिखाया जाकर खूले न्यायालय में सुनाया गया।

पट्टेन सहयक कलक्टर, सुजानाद

उपखण्ड अधिकारी एवं

30-8-19